(वाद सं0–1790/4/13/2022)

23.01.2024

परिवादी, अमरेन्द्र कुमार चन्दन, उपस्थित है।

परिवादी को सुना व संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, अमरेन्द्र कुमार चन्दन, पुत्र–साधु चरण प्रसाद, के मौजा–नेर अन्तर्गत थाना संख्या–249, खाता संख्या–275, खेसरा संख्या–1524, कुल रकवा–10 डीसमिल को एन0एच0–83 सड़क चौड़ीकरण में भूमि अधिग्रहण किये जाने के बाद भी अबतक मुआवजा की राशि का भुगतान नहीं किये जाने तथा बगैर मुआवजा का भुगतान किये उनके जमीन पर बने मकान को अधिग्रहित किये जाने से सम्बन्धित है।

उपरोक्त पर **जिला पदाधिकारी एवं समाहर्त्ता, जहानाबाद** से प्रतिवेदन की माँग की गई। **जिला पदाधिकारी एवं समाहर्त्ता, जहानाबाद** के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, जहानाबाद के प्रतिवेदनानुसार, **''परिवादी द्वारा भू–अर्जन पदाधिकारी, जहानाबाद द्वारा परिवादी से माँग किये गये वांछित कागजातों को उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण परिवादी के परिवाद पत्र पर सम्यक जाँच करते हुए अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है।''**

उपरोक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की माँग की गयी है। परिवादी का अपने प्रत्युत्तर में कथन है कि जिला पदाधिकारी एवं समाहर्त्ता, जहानाबाद के दिनांक–23.06.2023 के सूचना पत्र के आलोक में उसके द्वारा वांछित सभी कागजातों को जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, जहानाबाद के कार्यालय में जमा कराया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, जहानाबाद की ओर से मुआवजा की राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। परिवादी का यह भी कथन है कि उसके अधिग्रहित भूमि के मुआवजा का भुगतान किसी अन्य व्यक्ति को कर दिया गया है।

प्रसंगाधीन मामला भू–अर्जन से सम्बन्धित है, जिसके सम्बन्ध में विधिनुसार आदेश/निर्णय का क्षेत्राधिकार Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Authority को है।

उक्त के आलोक में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, जहानाबाद से अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए परिवादी के आपत्ति को उक्त Authority को Reference भेज दें।

दुसरी तरफ परिवादी को भी यह निर्देश दिया जाता है कि प्रसंगाधीन मामले में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, जहानाबाद को अपने मामले के समाधान हेतु आवेदन दें तथा अगर जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, जहानाबाद द्वारा एक माह के अंदर परिवादी के मामले को उपरोक्त Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Authority, बिहार के समक्ष Refer नहीं किया जाता है तो परिवादी स्वयं अपने स्तर से उपरोक्त प्राधिकार के समक्ष वांछित अनुतोष हेतु विधिनुसार याचना कर सकते हैं।

उपरोक्त अनुशंसा के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ परिवादी के प्रत्युत्तर (पृष्ठ–02–01/प0) की प्रति संलग्न का जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजते हुए इसकी एक प्रति परिवादी को भी सूचनार्थ उपलब्ध करा दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

संयुक्त सचिव